राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : शिक्षक शिक्षा का ऐतिहासिक एवं वर्तमान परिदृश्य में अध्ययन

***नेहा श्रीवास्तव एवं **आकांक्षा दीक्षित**

*शोध छात्रा, शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

**शोध छात्रा, शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर

सारांश

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 जुलाई 2020 को संसद में जारी की गई थी भारत की शिक्षा नीति में तीसरा बड़ा बदलाव है। पहली और दूसरी शिक्षा नीति 1968 और 1986 में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासन में बनाई गई थी। भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा से लेकर बौद्ध काल, मध्यकाल, ब्रिटिश शासन एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय अध्यापक शिक्षा में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए हैं तथा शिक्षक शिक्षा का स्वरुप समय वह परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहा है शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु अध्यापक शिक्षा को केंद्र बिंदु माना जाता है, और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं के व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए गए हैं जिनके क्रियान्वयन द्वारा अध्यापक शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

संकेत शब्द–*राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्यापक शिक्षा, निष्ठा, दीक्षा, स्वयं।*

प्रस्तावना :–

शिक्षण का कार्य समस्त कार्यों में पवित्रतम और परम आवश्यक माना जाता है क्योंकि ज्ञानदान के समान दूसरा कोई भी परहिताय निर्दिष्ट कार्य नहीं है शिक्षण की प्रक्रिया निश्चित रूप से अध्यापक शिक्षा पर निर्भर करती है क्योंकि अध्यापक शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा भावी अध्यापक शिक्षण कौशल और तकनीकों से परिचित होते हैं और उन में प्रदर्शन करते हुए अपेक्षित शिक्षण व्यवहारों को आत्मसात करने में सक्षम हो पाते है।

अध्यापक शिक्षा का अर्थ एवं महत्वः–

हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जिसे मात्र किसी कौशल् कार्य के निष्पादन तक सीमित नहीं किया जा सकता है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में निहित आंतरिक क्षमताओं का विकास समग्र रूप से करने के साथ ही सामाजिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि के संदर्भ में उपयोगी तथा साधन संपन्न व्यक्तित्व के निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाता है व्यापक संदर्भ में कहा जा सकता है कि अध्यापक शिक्षा व शैक्षिक आयोजन है जिसमें विभिन्न स्तरीय अध्यापकों को इस तरह से शिक्षित करने के लिए प्रयत्न किया जाता है कि ज्ञान एवं मूल्यों के हस्तांतरण के साथ ही उनके समस्त शैक्षिक एवं विकासात्मक दायित्वों को ग्रहण एवं वहन करने में सक्षम हो सकें तथा उनमें तकनीकी कुशलता, वैज्ञानिक चेतना के साथ संसाधन संपन्नता एवं मानवता बोध का समन्वयात्मक विकास करना संभव हो सके। शिक्षण को एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अध्यापक शिक्षा वह आयोजन हो जिसमें इस प्रोफेशन से संबंधित नीति बोध एवं संवेगात्मक पक्ष में दक्षता प्रदान करने की व्यवस्था हो।
इस हेतु सामाजिक सांस्कृतिक नैतिक एवं समस्त चारित्रिक गुणों के साथ ही राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए सफल प्रयास करना इस आयोजन का लक्ष्य है।

अध्यापक शिक्षा के प्रकारः–

सेवापूर्वकालीन अध्यापक शिक्षा

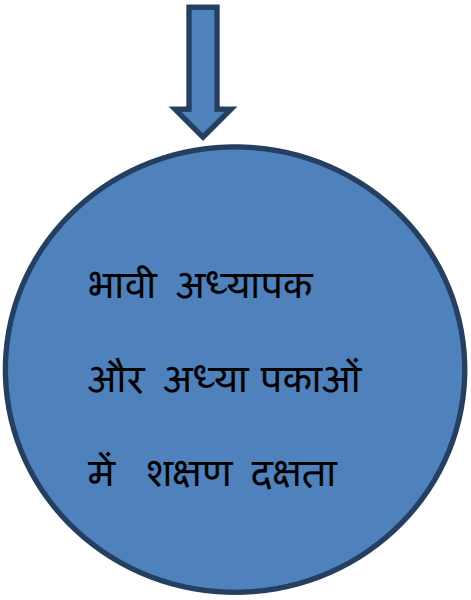

सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा

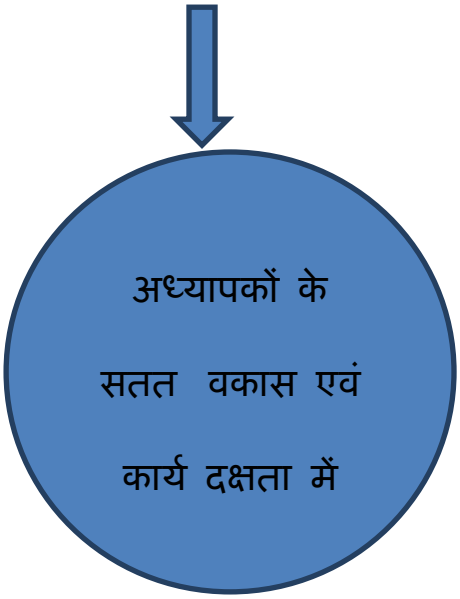

शोध के उद्देश्यः–

वर्तमान शोध में अध्यापक शिक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। इसकी उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन
- अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न आयोग एवं समितियों के सुझाव का संक्षिप्त वर्णन
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक शिक्षा के नवीन दृष्टिकोण एवं सुझावों का अध्ययन
- वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता का अध्ययन

शोध विधिः–

प्रस्तुत शोध विधि का स्वरूप वर्णात्मक है ,शोध विधि में प्रयुक्त आंकड़े शोध पत्रिकाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा इंटरनेट के माध्यम से लिए गए हैं।

अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विभाजन एवं वर्णन हम निम्नानुसार कर सकते हैं–

क) प्राचीन काल अवधि 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व।

ख)बौद्ध काल अवधि 500 ईसा पूर्व से 1200 पूर्व।

ग) मध्यकाल अवधि 1201 ई. पूर्व से लेकर 1700 ई. तक

आधुनिक काल

क) ब्रिटिश काल अवधि 1721 ई. से लेकर 1947 तक

ख) स्वातंर्त्योत्तर कॉल अवधि 1947 के बाद से आज तक

प्राचीन काल

इस काल में शिक्षा वैदिक ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित होने के साथ ही उस पर समाज के उच्च कुल के लोगों का विशेषकर ब्राह्मण वर्ग का अधिकार था ब्रह्मज्ञान से युक्त व्यक्ति की ब्राह्मण कहलाने के लिए अधिकारी हुआ करते थे।इस काल में वर्णाश्रम प्रथा प्रचलित थी और वर्ण कर्म के आधार पर स्थापित होते थे पर वेदों का अध्ययन करना ही अध्ययन अध्यापन का मूल लक्ष्य होता था यही कारण है कि गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थी में से श्रेष्ठ और योग्यतम शिष्य को गुरु के द्वारा आगे चलकर शिक्षण कार्य के दायित्व को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ठहराया जाता था ।

बौद्धकाल

प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षा के अधिकार से वंचित सभी जातियों को भी इस काल में विद्या ग्रहण की अनुमति दी जाने लगी सर्वप्रथम औपचारिक रूप से धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था बौद्ध काल में की गई नैतिकता और अनुशासन पूर्ण आचरण को अनिवार्य बनाया गया।

प्रवज्या तथा **उपसंपदा** संस्कार में विद्या अभ्यास संपूर्ण हो जाने के बाद दो आचार्यों की देखरेख में अध्यापन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती थी इस प्रशिक्षण में जो विद्यार्थी वरिष्ठ एवं योग्य पाए जाते थे उन्हें आचार्य उपाध्याय की उपाधि प्रदान की जाती थी और तत्पश्चात वह शिक्षण का कार्य करते थे।

मध्यकाल

इस कालखंड को मूलतः **मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था** के रूप में देखा जाता है और अध्यापक शिक्षा की दिशा में इस काल में विशेष प्रगति के प्रमाण नहीं पाए जाते हैं इस काल में शिक्षा को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्रयास इसलिए किया गया था ताकि कुरान के धार्मिक उपदेश जनसाधारण तक पहुंच सके।

यदि औपचारिक दृष्टि से देखा जाए तो अध्यापक शिक्षा के लिए समुचित प्रबंध लगभग नगण्य ही था।

ब्रिटिश काल

इस अवधि में तत्कालीन ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के आधार पर भारत में भी **नवीन अंग्रेजी प्रधान शिक्षा प्रणाली** का प्रचलन किया गया। डेनिश और ब्रिटिश संयुक्त प्रयास के अंतर्गत कैरी साहब ने अपने सहयोगी मार्शमैन और वार्ड के साथ 1793 में सबसे पहले बंगाल के श्रीरामपुर नामक स्थान में एक औपचारिक अध्यापक की यह प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जिसे नॉर्मल स्कूल के रूप में जाना गया यह व्यक्तिगत प्रयास ही सर्वप्रथम भारत में औपचारिक अध्यापक शिक्षा से संबंधित सफल प्रयत्न रहा।

•1854 में वुड के घोषणा पत्र के साथ ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा अध्यापक अध्यापक की प्रशिक्षण की दिशा में ठोस और सार्थक प्रयत्न प्रारंभ हुए वुड ने शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा और क्षेत्र में सुविधाओं की पर्याप्त कमी के बारे मे उल्लेख किया ऑल शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना के लिए संस्तुति की।

- **भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग 1882** ने स्पष्ट किया कि माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण हेतु नॉर्मल स्कूल संपूर्ण देश भर में खोले जाएं।
- **कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग 1917** के द्वारा अध्यापक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें कही गई आयोग ने प्रशिक्षित शिक्षकों के उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया और यह कहा कि एक शिक्षा विभाग का निर्माण किया जाए और शिक्षा को एक अध्ययन विषय के रूप में इंटरमीडिएट बीए और एमए में स्तरीय उपाधि परीक्षाओं में शामिल किया जाए।

स्वातंत्र्योत्तर कालीन अध्यापक शिक्षा

- **माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953** ने स्नातक के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम तथा स्नातकों के लिए एक वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की संस्तुति की। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने रिफ्रेशर कोर्स पर बल दिया और अंशकालीन पाठ्यक्रमों को प्रस्तावित किया।
- **कोठारी शिक्षा आयोग 1964** के द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रभाव कारी शिक्षा संगठन की स्थापना की जानी चाहिए।
- **शिक्षाशास्त्र** एक स्वतंत्र शैक्षिक विषय होना चाहिए और यह **B.Ed** और **M.Ed** में एक वैकल्पिक विषय के रूप में प्रस्तावित होना चाहिए शिक्षा शास्त्र को स्कूल तथा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया जाना चाहिए।
- **कोठरी आयोग** ने प्रशिक्षण कॉलेजों में स्टाफ के लिए एक विशेष प्रकार से योजनाबद्ध विषय के अनुरूप मुख्य अभिविन्यास (ओरियंटेशन) पाठ्यक्रम का संगठन किया जाना चाहिए।
- कोठारी आयोग ने प्रशिक्षण कॉलेज में सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए **सेवारत शिक्षा (इनसर्विस टीचर एजुकेशन)** के एक संयोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाना चाहिए।
- नैतिक शिक्षा की तैयारी नवीन संदर्भ में होनी चाहिए और निरंतर रूप से चलनी चाहिए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986** के माध्यम से अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त व व्यवहारिक सुधारों के लिए सुझाव दिए गए उसमें यह कहा गया कि अध्यापक शिक्षा एक निरंतर गामी प्रक्रिया है तथा सेवा पूर्व और सेवा कालीन एक अभिन्न अंग है अनौपचारिक शिक्षा और प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक हेतु सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन पाठ्यक्रम का संचालन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) द्वारा किया जाना चाहिए।
- **प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992** मैं अध्यापकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया और यह कहा गया कि अनुसंधान एवं विकास संबंधित विषयों पर काम करने हेतु अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि कक्षा में अध्यापक छात्रों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान कर सके।
- **अध्यापक शिक्षा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा तैयार किया गया यह अध्यापक शिक्षा में समावेशित शिक्षा समता और स्थायित्व आधारित विकास का दृ ष्टिकोण और शिक्षा में सामुदायिक ज्ञान की भूमिका स्कूलों में आईसीटी एवं ई लर्निंग को समग्र रूप से सम्मिलित करने पर बल दिया।
- **न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट 2012** की सिफारिशों के आधार पर एवं राज्य स्तर पर अनेक सुधार किए गए इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु की गुणवत्ता में भी परिवर्तन किए गए इसे शिक्षा का आधुनिक मॉडल सुधार भी माना जाता है।
- न्यायमूर्ति वर्मा समिति रिपोर्ट ने शिक्षक को पेशेवर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यापकों के संबंधित विषयों के ज्ञान में वृद्धि की जानी चाहिए वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2015–16 के अकादमिक सत्र से देश में शिक्षा स्नातक 'इ.म्क कार्यक्रम की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई।

समिति ने प्रशिक्षण केंद्रों को अध्ययन केंद्र से पृथक रखने की बात की और प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न प्रकार के सेमिनार और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए तथा सेवारत शिक्षकों को तकनीकी ज्ञान अर्थात ऑडियो वीडियो एवम कंप्यूटर से अवगत कराया जाए इस प्रकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार एवं सेवारत अध्यापकों के व्यवहार में निरंतर सुधार हेतु न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट को दी प्रसांगिक माना गया है।

शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ सिफारिशें–

- **15.2** उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित न्यायमूर्ति जीएस वर्मा आयोग 2012 के अनुसार स्टैंड–अलोन टीईआई जिनकी संख्या 10,000 से अधिक है के पुनरुद्धार की तात्कालिक आवश्यकता है जिससे की गुणवत्ता के उच्चतर मानको को निर्धारित और शिक्षक प्रणाली में अखंडता, विश्वसनीयता, प्रभाविता और उच्चतर गुणवत्ता व्यवस्था को किया जा सके।
- **15.3** ऐसी अध्यापक शिक्षा संस्थाएं जो शैक्षिक मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का अधिकार होगा तथा वर्ष 2030 तक केवल शैक्षिक रूप से सुदृढ और बहु–विषयक और एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही कार्यान्वित होंगे।
- **15.4** सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु–विषयक संस्थाओं में समायोजित किया जाना चाहिऐ इसके लिए सभी बड़े बहु–विषयक विश्वविद्यालयों के साथ–साथ सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालय और विषयक महाविद्यालय का लक्ष्य होगा कि वे अपने यहां उत्कृष्ट शिक्षा विभागों की स्थापना और विकास करें एवं संबंधित विभागों के सहयोग से भविष्य शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए भी एक कार्यक्रम में संचालित करें।
- **15.5वर्ष 2030** तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थाओं को बहु विषयक संस्थाओं के रूप में बदलना होगा तथा इन्हें **4 वर्षीय** एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करना होगा।

4 वर्षीय एकीकृत B.Ed प्रदान करने वाला प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान किसी एक विषय विशेष में पहले से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर चुके ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जो आगे चलकर शिक्षण करना चाहते हैं, के लिए अपने परिसर **में 2 वर्षीय** बीएड कार्यक्रम भी डिजाइन कर सकते हैं। विशेष रूप से ऐसे उत्कृष्ट विद्यार्थी जिन्होंने किसी विशेष विषय में **4 वर्ष** की स्नातक की डिग्री प्राप्त की है के लिए **1 वर्षीय** बीएड कार्यक्रम भी ऑफर किया जा सकता है। इन **4 वर्ष 2 वर्ष और 1 वर्षीय** बीएड कार्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों को आकर्षित करने के उद्देश्य से मेधावी विद्यार्थियों के छात्रवृत्तियों की स्थापना भी की जाएगी।

- **15.6** अध्यापक शिक्षा प्रदान करने वाले उत्तर शिक्षण संस्थान शिक्षा और इससे संबंधित विषयों के साथ ही साथ विशेष विषयो में विशेषज्ञों की उपलब्धता भी कराएंगे तथा भावी शिक्षक अन्य सहायक गतिविधि गतिविधियों जैसे सामुदायिक सेवा और व्यवसायिक शिक्षा आदि में सहभागिता के साथ शिक्षण का कार्य करेंगे।
- **15.7** शिक्षक शिक्षा के लिए एक समान मानकों को बनाए रखने के लिए पूर्व सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित उपयुक्त विषय और योगिता परीक्षणों के माध्यम से होगा और देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए मानकीकृत किया जाएगा।
- **15.8** शिक्षा विभाग में संकाय सदस्यों की प्रोफाइल में विविधता होना एक आवश्यक लक्षणों का तथा शिक्षकों की बहु विषय शिक्षा को और उनके व अवधारणा तक विकास को मजबूती प्रदान की जाएगी।
- **15.9** सभी पीएचडी स्कॉलर अपने प्रशिक्षण अवधि के दौरान चुने गए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षा अध्यापन लेखन में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम में हिस्सा ले तथा अपनी डॉक्टरेट प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें शैक्षणिक प्रक्रियाओं पाठ्यक्रम निर्माण विश्वसनीय मूल्यांकन प्रणाली और संचार जैसे क्षेत्रों का अनुभव प्रदान किया जाएगा।

पीएचडी छात्रों के लिए शिक्षण सहायक और अन्य साधनों के माध्यम से अर्जित किए गए वास्तविक शिक्षण अनुभव के न्यूनतम घंटे भी तय किए जाएंगे।

- **15.10** कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए **सेवारत सतत व्यवसायिक विकास का प्रशिक्षण** तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए स्वयं दीक्षा जैसे प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि मानकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कम समय के भीतर अधिक शिक्षकों को सिखाया जा सके।
- **15.11** कॉलेजों के सलाह (मेंटरिंग) के लिए एक **राष्ट्रीय मिशन** को स्थापित किया जाएगा जिसमें बड़ी संख्या में **वरिष्ठ सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों** को जोड़ा जाएगा जो शिक्षकों को लघु एवं दीर्घकालीक परामर्श व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हो।

ITEP (इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम)–

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023–24 से 57 शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी) शुरू किया है। यह एनईपी 2020 के तहत एनसीटीई का एक प्रमुख कार्यक्रम है।

आईटीईपी का उद्देश्य–

कार्यक्रम का उद्देश्य NEP2020 की नई स्कूल संरचना के अनुसार मूलभूत, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए शिक्षकों को तैयार करना है। यह सुनिश्चित करेगा कि उत्कृष्ट छात्र शिक्षण पेशे में प्रवेश करें।

- **5.15.** शिक्षक को आत्म–सुधार के लिए और अपने व्यवसायों में नवीनतम नवाचारों और अग्रिमों को सीखने के लिए निरंतर अवसर दिए जाएंगे। इन्हें स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के साथ–साथ ऑनलाइन शिक्षक विकास मॉड्यूल सहित कई तरीकों से पेश किया जाएगा। प्लेटफॉर्म (विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म) विकसित किए जाएंगे ताकि शिक्षक विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने स्वयं के हितों से संचालित, अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए प्रति वर्ष कम से कम 50 घंटे के सीपीडी अवसरों में भाग लें। सीपीडी के अवसर विशेष रूप से, मौलिक साक्षरता और संख्यात्मकता के बारे में नवीनतम शिक्षाशास्त्र को व्यवस्थित रूप से कवर करते हैं, सीखने के परिणामों के आकलन के अनुकूल बनाने के लिए योग्यता आधारित शिक्षा और संबंधित शिक्षाशास्त्र जैसे कि एकीकृत खेल–एकीकृत और कहानी आधारित शिक्षा आदि के रूप में प्रायोगिक शिक्षा है।
- **5.16** स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल कॉम्प्लेक्स लीडर के पास समान मॉड्यूलर नेतृत्वध्प्रबंधन कार्यशालाएं और ऑनलाइन विकास के अवसर और मंच होंगे ताकि वे अपने स्वयं के नेतृत्व और प्रबंधन कौशल में लगातार सुधार कर सकें, और ताकि वे भी एक–दूसरे के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकें।

(NPST) नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक एक सार्वजनिक वक्तव्य है जिसमें प्रभावी और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं। यह शिक्षकों के कार्यक्षेत्र और आवश्यक कौशल को परिभाषित करेगा।

एनपीएसटी के तहत प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से, हमारे छात्र बेहतर सीखेंगे और गहरी समझ के साथ प्रदर्शन करेंगे। एनपीएसटी के लिए एनईपी 2020 का उद्देश्य 21वीं सदी के कौशल के साथ तैयार स्कूलों के लिए शिक्षक प्रदान करना है।पेशेवर और व्यक्तिगत विकास वाले शिक्षक समग्र शिक्षा क्षेत्र में सुधार करेंगे और सीखने की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे।

NEP 2020 ने **NPST** का मसौदा तैयार करने के लिए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी **(PSSB**) को नियुक्त किया है। **PSSB** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (**NCTE)** का पुनर्गठित रूप है।

एनपीएसटी निम्नलिखित में मदद करेगा–

- शिक्षक कैरियर प्रबंधन
- व्यावसायिक विकास के प्रयास
- वेतन वृद्धि
- प्रचार
- परिवीक्षाधीन और स्थायी शिक्षकों के लिए शिक्षक कार्यकाल
- मान्यताएं और पुरस्कार

एनपीएसटी प्री–सर्व की रणनीति भी तैयार और अधिसूचित करेगा एनपीएसटी सेवा–पूर्व शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की रणनीति भी तैयार और अधिसूचित करेगा।

एमएचआरडी की अन्य पहल–

दीक्षा, स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स), पीएमईविद्या (वन क्लास वन चौनल) और निष्ठा (नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट) शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल हैं।

DIKSHA (डिजिटल इन्फ्राट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग)

दीक्षा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में काम करेगी। देश भर के सभी शिक्षक उन्नत डिजिटल तकनीक से लैस होंगे।दीक्षा पोर्टल शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में समाधान को सक्षम, तेज और विस्तारित करेगा। यह शिक्षकों को सीखने और स्वयं को प्रशिक्षित करने में सहायता करेगा जिसके लिए मूल्यांकन संसाधन उपलब्ध होंगे। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण सामग्री, प्रोफाइल, इन–क्लास संसाधन, मूल्यांकन सहायता, समाचार और घोषणा बनाने और शिक्षक समुदाय से जुड़ने में मदद करेगा।

राज्य, सरकारी निकाय और यहां तक कि निजी संगठन भी दीक्षा को अपने लक्ष्यों, जरूरतों और क्षमताओं के आधार पर संबंधित शिक्षक पहलों में एकीकृत कर सकते हैं।

NISHTHA (नेशनल इनीशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स हॉलिस्टिक एडवांसमेंट)–

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2019–20 में समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है।

निष्ठा ष्एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल के प्रधानाचार्यों के बीच दक्षताओं का निर्माण करना है। निष्ठा अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। यह पहल अपनी तरह की पहली है जिसमें सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

निष्ठा की मुख्य विशेषताएं–

- **4.2** मिलियन शिक्षकों की क्षमता निर्माण
- प्रमुख शैक्षणिक सहायता के रूप में प्राचार्यों्ध्प्रमुखों का एकीकृत प्रशिक्षण
- योग्यता और उच्च क्रम सोच कौशल आधारित शिक्षण अधिगम पर ध्यान दें

- प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में सभी प्रमुखों और शिक्षकों का प्रशिक्षण
- ऑनलाइन निगरानी और समर्थन प्रणाली
- बहु–विभागीय प्रयासों का अभिसरण
- गतिविधि आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल

शिक्षण में ARPIT (एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग)

हाल ही में, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री (HRD) ने संसद को शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (ARPIT) के बारे में सूचित किया।

इस कार्यक्रम के तहत **2018–19 में 37,199** शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था जबकि **2019–20** में **1,46,919** शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

एनआरसी एक विषय में नवीनतम विकास, नए और उभरते रुझानों, शैक्षणिक सुधारों और संशोधित पाठ्यक्रम को लागू करने के तरीकों पर ध्यान देने के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण सामग्री तैयार करता है।

एनआरसी संस्थानों की एक मिश्रित श्रेणी में स्थित हैं जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, आईआईएससी, आईयूसीएए, आईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईटी, राज्य विश्वविद्यालय।

बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम

MOOC एक निशुल्क वेब आधारित दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जिसे बड़ी संख्या में भौगोलिक रूप से फैले हुए छात्रों की भागीदारी के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार ने खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए **SWAYAM** प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

SWAYAM (**स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स**)

SWAYAM प्लेटफॉर्म को**Microsoft** की मदद से मानव संसाधन विकास मंत्रालय **(MHRD**) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद **AICTE** द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।

यह शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों अर्थात **पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता** को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है।

इस प्रयास का उद्देश्य **सबसे वंचितों सहित सभी के लिए** सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को उपलब्ध कराना है।

निष्कर्ष–

पूर्व में विभिन्न आयोगों एवं समितियों के द्वारा अध्यापक शिक्षा के बुनियादी मानकों को पूरा करने हेतु विभिन्न सुझाव दिए गए थे जिनके द्वारा अध्यापक शिक्षा में सुधार हुआ लेकिन वर्तमान समय मे शैक्षिक जगत को बदलती परिस्थितियों के अनुसार नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अध्यापक शिक्षा हेतु मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं जिनके क्रियान्वयन द्वारा अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करके शैक्षिक जगत की उत्कृष्टता को बढ़ाया जा सकता है।

शिक्षक किसी भी देश की रीढ़ है जिसके स्तंभ पर सभी आकांक्षाएं वास्तविकताओं में परिवर्तित हो जाती हैं। –एपीजे अब्दुलकलाम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** में वर्ष **2030** तक शिक्षक शिक्षा हेतु **4 वर्षीय** बीएड डिग्री को न्यूनतम योग्यता स्वीकार किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापक शिक्षा संस्थान बुनियादी मानदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं उन पर कार्यवाही की जाए और **2030** तक केवल बहु विषयक, एकीकृत और शैक्षिक रूप से सुदृढ़ अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम ही संचालित किए जाएंगे। शिक्षकों को अपने ज्ञान एवं विचारों के आदान–प्रदान

हेतु एक ऑनलाइन मंच बनाया जाना चाहिए। तथा सेवारत अध्यापकों के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन मंचों की व्यवस्था होनी चाहिए इस दिशा में निष्ठा स्वयं और दीक्षा जैसे कार्यक्रम अध्यापक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अध्यापक शिक्षा को बहु विषयक संस्थानों में होना चाहिए जिससे भावी शिक्षकों को सभी विषयों का ज्ञान एवम अनुभव प्राप्त हो सके। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन को स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया जिसमें देश के सभी वरिष्ठ एवं उत्कृष्ट संकाय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों को परामर्श एवं व्यवसायिक सहायता दी जाएगी। इस प्रकार यह कहा जा सकता हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्तमान की सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता को बढ़ाने वाली नीति है।

सन्दर्भ सूची :–

भट्टाचार्य, जी.सी. (1972). *अध्यापक शिक्षा.* अग्रवाल पब्लिकेशन.

राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020(). मानव संसाधन वकास मंत्रालय . *शक्षक शक्षा* , .(67)15 NEP_final_HINDI_0.pdf (education.gov.in)

राष्ट्रीय शक्षा नीति 2020(). मानव संसाधन वकास मंत्रालय . *शक्षक,* 5(30). NEP_final_HINDI_0.pdf (education.gov.in)

India.gov.in National Portal of India. Nishtha. (2021, December 30).https://www.india.gov.in/spotlight/nishtha

India.gov.in national portal of india. Diksha. (2018, October 22). https://www.india.gov.in/spotlight/diksha-national-digital-infrastructure-teachers

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्. (2021, November 15) 0_17_11_2021_637727476760088901.pdf (ncte.gov.in)

Annual Referesher Programme in teaching. (2023, April 17). Introduction | Annual Refresher Programme in Teaching | India (nta.nic.in)